प्रस्ताव संख्या– 1

कार्यकारिणी–समिति की बैठक दिनांक 25.05.2018 की संम्पुष्टि।

कार्यकारिणी समिति अवगत हुई। कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25.05.2018 की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई। सर्वसम्मति से संम्पुष्टि की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–2

अवर अभियंता (जल) की आख्यानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र में जनता द्वारा नगर निगम के बिना अनुमति लिये अत्याधिक संख्या में समरसेबिल एवं आर0ओ0 प्लांट लगाकर जल रोहण किया जा रहा है, जिससे भूमि का जल स्तर प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। जलस्तर को नियंत्रित करने नगर निगम क्षेत्र में घरेलु समरसेबिल अधिष्ठापन पर शुल्क रू0 5000/– एवं अघरेलु (कॉमरर्शियल) समरसेबिल अधिष्ठापन पर शुल्क रू0 10000/– एवं आर0ओ0 प्लांट लगाने पर स्वीकृति प्रत्येक आर0ओ0 पर शुल्क रू0 25,000/– जमा कराने का प्रस्ताव सदन अधिवेशन दिनांक 29.06.2018 के प्रस्ताव सं0 26, में रखा गया है। प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। समरसेबिल की दरों पर चर्चा कार्यकारिणी में विचार करते हुये किये जाने हेतु सहमति दी गई तथा आर0ओ0 प्लांट पर शुल्क रू0 25000/–के स्थान पर रू0 50000/–किये जाये। यह निर्णय भी कार्यकारिणी में चर्चा कर लिया जायें। अतः उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ एवं उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। मा0 कार्य कारिणी समिति के द्वारा चर्चा के उपरान्त घरेलू एक मजिला भवन में समरसेविल स्थापना हेतु रू0 1000/– अघरेलू भवन (कोर्मर्शिल) के लिए रू0 10000/– एवं आ.रो.प्लाटं 1000 ली0 क्षमता तक रू0 25,000/–एवं 1000 ली0 से अधिक क्षमता वाले आ0रो0प्लाट पर रू0 50,000/– शुल्क निर्धारण किये जाने की सर्वसम्मिति से स्वीकृति प्रदान करते हुये रोड पटरी पर स्थापित समरसेविल पर नियमानुसार जुर्माना निर्धारित करते हुये कार्यवाही करने एवं जल विभाग में प्लम्बर का रजिस्ट्रेशन कराये जाने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या–3

कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401, 438, 451, 452 व 541 (20)(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोंग करके नगर निगम मथुरा वृन्दावन टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन बनाते हुये विषय–मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। एवं विभाग द्वारा तैयार किये गये वायलॉज की प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी चर्चा के उपरान्त वायलॉज में टावर पर लाल वल्व लगाने एवं नगर निगम तथा विकास प्राधिकरण की भूमिका का उपविधियों में स्पष्ट प्रावधान करते हुये संशोधित उपविधियां सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

प्रस्ताव संख्या–4

राजस्व अधीक्षक की आख्यानुसार शहर में किये जाने वाले विज्ञानपन प्रचार प्रसार के निमित्त सार्वजानिक/प्राईवेट भवनों दीवारों, चार दीवारी पर अवैध पोस्टर एवं वॉल पेन्टिंग नगर निगम क्षेत्र में पोस्टर एवं बॉल पेंटिंग को पूर्णतः प्रतिबन्धित करने के साथ –2 नियन्तरण हेतु उक्त कार्य करने वालों के विरूद्ध कम से कम रू0 5000/–का जुर्माना निर्धारित विज्ञापन शुल्क के साथ वसूल किये जाने एवं अपराध को जारी रखने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत/अनुमोदित।

प्रस्ताव संख्या–5

कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधि0 सं0 02 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) धारा 114 की उपधारा 3 (9–क) तथा धारा 541 के खण्ड (3) के अधीन पार्किंग शुल्क उपविधि समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2019–20 से लागू किया जाना प्रस्तावित है, विषय– मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या–6

कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार मा0 सदन की बैठक दिनांक 29.06.2018 के प्रस्ताव सं0 08 के द्वारा नगर निगम एवं नजूल भूमि पर बनी हुई दुकानों पर अवैध रूप से काबिज /सिकमी किराये दार एवं आवंटियों की मृत्यु पश्चात उनके वारिसों के नाम दुकानों के आवंटन के लिए नीति निर्धारण किये जाने विषयक प्रस्ताव यथा सिकमी किरायेदार के रूप में काबिज व्यक्ति को किरायेदार मानते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट को आधार मानकर दुकान का प्रीमियम निर्धारित करने तथा मृतक के वारिसानों के प्रकरण में वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट का 0.25 प्रतिशत प्रीमियम निर्धरित करने के साथ वर्तमान किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि पर मा0 सदन द्वारा प्रस्ताव सं0 08 में संशोधन के साथ मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रदान दिये गये है एवं मा0 सदन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन बिन्दुओं पर संशोधन अपेक्षित है, पुनः परीक्षण उपरान्त उपरोक्तानुसार प्रीमियम एवं मार्किट वार निर्धारित किराया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। चर्चा उपरान्त निर्णय हुआ कि नगर निगम की दुकानों में मूल आंवटी के स्थान पर काविज वारिसानों की स्थिति में 25 प्रतिशत प्रिमियम तथा सिकमी किरायेदरों की स्थिति में 31 मार्च 2019 तक सर्किल रेट का 50 प्रतिशत एवं 31 मार्च 2019 के बाद सर्किल रेट का 100 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित करते हुये निम्नवत् मर्किट वाइज किराया निर्धारित किया जाये तथा नियमानुसार अनुबन्ध निस्पादित कराये जाये।

क्र0 स0	मार्केट का नाम	प्रस्तावित किराया प्रतिमाह
01	वृन्दावन कार्यालय केम्पस के वाहर	1000/–
02	भैंसा गोदाम (वृन्दावन)	1000/–
03	डाक बंगला	1000/–
04	हजारीमल सोमानी इण्टर कॉलेज फील्ड	1000/–
05	अटल्ला चुंगी पानी की टंकी	1500/–
06	बांके बिहारी पाठशाला के बगल में, वृन्दावन	1000/–
07	मुखर्जी पार्क	1000/–
08	रेलवे चुंगी, वृन्दावन (मुखर्जी पार्क)	1000/–
09	सीवेज फार्म पागल बाबा के सामने वृन्दावन	1000/–
10	आजाद मार्केट , डीग गेट, भूतल	1500/–
11	आजाद मार्केट , डीग गेट, प्रथम तल	1000/–
12	नगर निगम परिसर , भूतल	1500/–
13	डैम्पीयर नगर , भूतल	1500/–
14	जलकल कम्पाउन्ड, भूतेश्वर	1500/–
15	जवाहर हाट मार्केट ब्लाक ए,बी,सी	1000/–
16	जवाहर गंज	1500/–
17	जनरल गंज	1500/–
18	आर्य समाज रोड	1500/–
19	केलन गंज तहखाना	1000/–
20	तिलकद्वार	1500/–
21	जवाहर हाट गोदाम	1500/–
22	जुबली पार्क	1500/–
23	सौंख रोड	1500/–
24	अन्य दुकानें	1500/–

प्रस्ताव संख्या–7

मुख्य अभियंता सिविल की आख्युानसार तत्कालीन अध्यक्ष पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद् वृन्दावन क्षेत्र की स्वीकृति पर जनहित में कुटेशन के आधार पर सड़क मरम्मत पुलिया, नाली क्रास आदि कुल 109 निर्माण कार्य आगणन अनुसार रू0 97,18,334/–के कराये गये थे, इसी प्रकार पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद् मथुरा क्षेत्र में पुलिया, शौचालय आदि कुल तीन निर्माण कार्य रू0 2,16,689/– के कराये गये, जिनका भुगतान तत्समय नहीं हो पाया था, दोनों परिषदों द्वारा कराये गये कार्य कुल रू0 99,35,023/– की ठेकेदारों द्वारा निरन्तर भुगतान की मांग की जा रही है। विषय मा0 कार्यकारिणी के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। कार्यो के सत्यापन हेतु महापौर महोदय की अध्यक्षता में श्री हेमंत अग्रवाल उपसभापति, श्री वैभव अग्रवाल, श्री तिलकवीर सिंह, एवं अपर नगर आयुक्त, श्री तिवारी, एवं श्री प्रदीप मित्तल मुख्य अभियंता सिविल आदि की कमेटी गठित की जाती है, जो 31 मार्च, 2019 से पूर्व अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

प्रस्ताव सं0 8

उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा ने अपने पत्रांक 786/विधि/म0वृ0वि0प्रा0/2018–19 दिनांक 28.07.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण कर ग्राम बाद स्थित गाटा संख्या 2498 क्षे0 1.000 है0 एवं ग्राम महोली स्थित गाटा संख्या 304 रकवा 0.8620 है0 भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु चिन्हित की गई है, जो कि नवविस्तृत सीमा क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि के रूप में सम्मिलित हुआ है।

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग हेतु लखनऊ के शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–06 विविध /2018 दिनांक 11.07.2018 एवं प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 986/आठ–1–18–80 विविध/2010 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। शासनादेशानुसार योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि सम्बन्धित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निः शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी तथा तद्नुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने सम्बन्धित विषय मय पत्रावली शासनादेश सहित मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत। आगामी कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या–9

कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार तत्कालीन नगर पालिका परिषद् मथुरा द्वारा बी0ओ0टी0 के आधार पर विभिन्न फर्मो को नगर पालिका/नगर निगम के हितों के विपरीत बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये दिये गये यूनीपोल/गेटएन्ट्री/होर्डिंग्स/कैन्टीलीवर/लॉलीज/क्यौस्क/बस शेल्टर के ठेके जो वर्तमान नगर निगम मथुरा –वृन्दावन में लागू विज्ञापन कर उपविधि 2018 एवं नगर निगम हितों के विपरीत है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

बी0ओ0टी0 फर्म का नाम	आवंटित यूनीपोल/गेटएन्ट्री
डी0एम0 एड0	12 यूनीपोल
विनायक एड0	05 यूनीपोल
सिल्क सिक्रन	05 यूनीपोल
नर्मदा कॉन्ट्रेक्टर	02 यूनीपोल
खण्डेवाल एड0	23 यूनीपोल/गेट एन्ट्री
विपुल आर्ट	06 यूनीपोल
एम0एम0एड0	04 यूनीपोल , 05 बस शैल्टर
राजेश्वरी चतुर्वेदी	100 ट्री गार्ड, 100 लाइट लॉलीज, पोल क्योस्क
श्री जी एड0	20 न्यू लुक इलैक्ट्रिक होर्डिंग्स/कैन्टीलीवर , 02 बस शेल्टर

वृन्दावन क्षेत्र

श्री मनोज चतुर्वेदी	02 यूनीपोल, 02 गेट एन्ट्री
डी0एम0एड0	02 गेट एन्ट्री
ओम साई पब्लिसिटी	01 गेट एन्ट्री, 02 गेन्टीलीवर
खण्डेलबाल एड0	1 गेट एन्ट्री, 5 गेन्टीलीवर
एम0एम0 एड0	02 गेट एन्ट्री 4 बस शैल्टर, 03 यूनीपोल, 1 गेन्टीलीवर
मै0 एम0जी0एम0 ग्राफिक्स	02 यूनीपोल, 02 गेट एन्ट्री

उपरोक्त बी0ओ0टी0 के आधार पर किये गये अनुबन्ध में सम्बन्धित एडवरटाईजर्स द्वारा जनसुविधाओं एवं शर्तो का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा विज्ञापन के मद में प्राप्त होने वाली आय भी पूर्णतः जमा नही की जा रही है। पूर्व अनुबन्ध के आधार पर शुल्क जमा कराने पर राजस्व की प्राप्ति भी अतिन्यून होगी। ऐसी स्थिति में बी0ओ0टी0 के आधार पर किये गये अनुबन्ध को निरस्त/ संचालन के सम्बन्ध में प्रकरण मय पत्रावली मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। जॉच हेतु महापौर महोदय के अध्यक्षता में सर्वश्री हेमंत अग्रवाल (उपसभापति) रामदास, विष्णु, राजेश सिंह, ध्रुव नारायन, मीरा अग्रवाल, श्री अजित कुमार सिंह संयुक्त नगर आयुक्त, एवं श्री भरत लाल कर निर्धारण अधिकारी की कमेटी गठित की जाती है।

<u>प्रस्ताव संख्या–10</u> सहायक अभियंता (वि / य0) की आख्यानुसार मै0 ई0एस0एस0एल0 द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन से किये गये अनुबन्ध से अधिक लगाई गई 1966 नग एल0ई0डी0 लाइटों के कार्योत्तर अनुमोदन तथा अवशेष 2285 नगर पुरानी सोडियम लाइटों को एल0ई0डी0 लाइट में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार।
<u>प्रस्ताव संख्या–11</u> पत्र श्री मदन मोहन प्रान्तीय उपमहामंत्री (स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0) कि नगर निगम मथुरा वृन्दावन के गठन को लगभग एक वर्ष हो चुका है। गठन उपरान्त काफी संख्या में जनता से सम्बन्धित शिकायतों के निस्ताण एवं अन्य समस्याओं हेतु मा0 पार्षदगणों का अधिकारीगणों के पास नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा में आवागमन बना रहता है। साथ ही अधिकारियों एवं पार्षदगणों की कैबिनेट बैठकों का भी आयोजन होता रहता है, जिसके दौरान चाय नश्ता, आदि व्यवस्थाओं की आवश्यकता बनी रहती है, साथ ही विभाग में कार्यरत् समस्त कर्मचारियों को चाय, बिस्कुट, नाश्ता आदि की आवश्यकता प्रतिदिन रहती है, इस दृष्टि से नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा में कार्यरत् समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा समस्त मा0 पार्षदगणों के जल–पान आदि की सुविधा हेतु नगर निगम कार्यालय में एक आधुनिक कैन्टीन खुलवाये जाने का अनुरोध किया विषय –मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। वर्तमान में निगम की स्थिति देखते हुये प्रस्ताव स्थगित किया जाता है।
<u>प्रस्ताव संख्या–12</u> अधिशासी अभियंता की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा सीमान्र्तगत ध्वस्त सामग्री एवं सड़क पर पड़ी ध्वस्त निर्माण समाग्री (Demoetion Construction Meterial) को वैज्ञानिक तरिके से निस्तारित किये जाने सम्बन्घि उपविधि तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। अधिषासी अभिंयता सिविल द्वारा बताया गया नगर आयुक्त महोदय के निर्देषानुसार पूर्व में कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गई है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार / अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
<u>प्रस्ताव सं0 13</u> लेखाधिकारी की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा का पुनरीक्षित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018–19, जिसमें सकल प्राप्तियों का अनुमान रू0 3,05,99,76,308 /– एवं व्यय अनुमान रू0 2,90,98,39,224 /– तथा अवशेष अनुमान रू0 15,01,37,084 /– है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। माह सितम्बर 2018 तक के आय / व्यय प्रस्तुत करने पर मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत करते हुये आगामी सदन की बैठक में माह दिसम्बर 2018 तक आय / व्यय के आकड़े प्रस्तुत किये जाये।
<u>प्रस्ताव सं0 14</u> महाप्रबन्धक (जल) की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में प्राईवेट सीवर ऑपरेटर कार्यरत् है, घरों से सीवर निकाल कर असुरक्षित रूप से उसका निपटान करते है, जिसके कारण संक्रमण रोगों के फैलने एवं पर्यावरण आदि के दूषित होने का खतरा बना रहता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार मानव मल का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक रूप से निपटान अनिवार्य है। इसलिए नगर निगम द्वारा फीकल स्लज व सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलसी तैयार कर उसे अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। सहायक अभिंयता जल द्वारा बताया गया नगर आयुक्त महोदय के निर्देषानुसार पूर्व में कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गई है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार / अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
<u>प्रस्ताव सं0 15</u> प्रभारी नजूल एंव सम्पत्ति की आख्यानुसार प्रत्येक वर्ष 12 मई को नगर निगम मथुरा वृन्दावन का स्थापना दिवस मनाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव सं0 16</u> अधिशासी अभियंता की आख्यानुसार मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की कॉलानियों नगर निगम को हस्तांतिरत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुईं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत है। अग्रिम समस्त कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर– मुकेश आर्य बन्धु
दिनांक 17.12.2018